भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 289

04 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत

"ई- मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024)"

289. **श्री प्रवीण पटेल:**

श्री दिलेश्वर कामैत:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईएमपीएस 2024 जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कोई रणनीति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): हां, भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक दुपहिया और तिपहिया को तेजी से अपनाने के माध्यम से जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 01.04.2024 से 30.09.2024 तक छह महीने की अवधि के लिए 778.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 को लागू किया।

इसके अलावा, ईएमपीएस-2024 को देश में ईवी विनिर्माण इको-सिस्टम की हरित गतिशीलता और विकास को और गति प्रदान करने के लिए 29.09.2024 को अधिसूचित 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम' में शामिल कर दिया गया है। यह स्कीम ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय आधार पर लागू की जा रही है और इसमें ईएमपीएस-2024 के परिव्यय सहित 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के निम्नलिखित तीन घटक हैं:

i. सब्सिडी: ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नई उभरती इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन;

ii. पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान: ई-बसें, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क स्थापना और इस स्कीम के तहत पहचाने गए वाहन परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन; और

iii. आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के लिए शुल्क सहित स्कीम का प्रशासन।

******